भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए

निर्गम-परिणाम निगरानी रुपरेखा (ओओएमएफ)

(मांग संख्या 64)

1. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2026-27)	निर्गम (2026-27)			परिणाम (2026-27)		
रुपये करोड़ में	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
80.00	1) नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों और नियोक्ताओं के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करना	1.1) एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या	1,00,00,000	1) नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों और नियोक्ताओं के लिए एक गतिशील, कुशल और उत्तरदायी तरीके से नौकरी मिलान के लिए एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन डिजिटल मंच प्रदान करना	1.1) एनसीएस पोर्टल के माध्यम से मोबिलाइज्ड वैकेंसी (जुटाई गईं रिक्तियों) की संख्या*	1,00,00,000
		1.2) एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत नियोक्ताओं की संख्या	15,00,000			
		1.3) आयोजित किए गए नौकरी मेलों की संख्या	8,000			

@"मोबिलाइज्ड वैकेंसी (जुटाई गईं रिक्तियों)" शब्द का मतलब है एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई / पोस्ट की गई कुल नौकरी की रिक्तियाँ की संख्या। ये रिक्तियाँ सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं, विभिन्न एकीकरण वगैरह सहित कई तरह के नियोक्ताओं से आती हैं।

2. श्रम, रोजगार और मूल्य सांख्यिकी (एलईएपीएस) योजना [तत्कालीन श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली (एलईएसएस)] [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2026-27)	निर्गम (2026-27)			परिणाम (2026-27)		
रुपये करोड़ में	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
75.00	1) सूचकांकों को समय से जारी करना	1.1) समय पर पूरे किए जाने वाले सूचकांकों की संख्या*	03	1) विभिन्न हितधारकों और आखिरी उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तय समय-सीमा पर सूचकांक संख्या पर टाइम सीरीज़ डेटा का उत्पादन	1.1) वेबसाइट से प्रकाशनों के डाउनलोड की संख्या	5,000
	2) ज्ञान सृजन	2.1) समय पर प्रकाशित रिपोर्टों की संख्या**	10		1.2) वेबसाइट पर आगंतुकों की संख्या	80,000

***सूचकांकों की संख्या: 03** [(1)औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू), (2) कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल); तथा (3) ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आरएल) का मासिक संकलन और प्रकाशन।

**पहले के केंद्रीय श्रम अधिनियम, जिन पर रिपोर्ट लाई गई थीं, उन्हें नीचे बताए गए चार श्रम संहिताएँ में शामिल कर लिया गया है:

श्रम संहिताएँ	शामिल अधिनियम
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020.	(1) कारखाना अधिनियम, 1948. (2) मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961. (3) बागान श्रम अधिनियम, 1951.
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020.	(1) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961. (2) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923.
वेतन संहिता, 2019.	(1) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948. (2) वेतन भुगतान अधिनियम, 1936.
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020.	(1) ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926. (2) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946. (3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947.

****रिपोर्टों / प्रकाशनों की संख्या: 10** - श्रम संहिताएँ 21.11.2025 से लागू हो गए हैं। अब संबंधित कोड के तहत नीचे बताए गए रिपोर्ट जारी की जाएंगी:

क्रम संख्या	नाम	क्रम संख्या	नाम
1	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020.	6	उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत श्रम संबंधी आंकड़ों के संग्रह पर रिपोर्ट.
2	सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020.	7	भारतीय श्रम जर्नल (आईएलजे).
3	वेतन संहिता, 2019.	8	श्रम संबंधी आंकड़ों की पॉकेट बुक (पीबीएलएस) / भारतीय श्रम सांख्यिकी (आईएलएस).
4	औद्योगिक संबंध संहिता, 2020.	9	आईडब्ल्यू / एएल / आरएल के लिए सीपीआई आंकड़ों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट.
5	दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम.	10	ग्रामीण भारत में मजदूरी दर पर पुस्तिका.

3. असम में चाय बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2026-27)	निर्गम (2026-27)			परिणाम (2026-27)		
रुपये करोड़ में	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
68.99	1) सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले मृत सदस्यों के परिवार को पारिवारिक पेंशन योजना (एफपीएस) के भुगतान का प्रावधान	1.1) वित्त वर्ष 2026-27 में एफपीएस के तहत जोड़े गए नए लाभार्थियों की संख्या	2,100	1) पारिवारिक पेंशन दावों का समय पर संवितरण (7 दिनों के भीतर)	1.1) एफपीएस के अंतर्गत कुल संवितरण का समयानुकूल संवितरण का प्रतिशत (7 दिनों के भीतर)	95%
				2) पारिवारिक पेंशन योजना (एफपीएस) के तहत लाभार्थियों का कवरेज	2.1) योजना के कुल सदस्यों में से एफपीएस के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत*	100%
	2) सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले मृत सदस्यों के परिवार को निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (डीएलआईएस) का प्रावधान	2.1) वित्त वर्ष 2026-27 में डीएलआईएस के तहत जोड़े गए नए लाभार्थियों की संख्या	3,280	3) निक्षेप सहबद्ध बीमा दावों का समय पर संवितरण (7 दिनों के भीतर)	3.1) डीएलआईएस के अंतर्गत कुल संवितरण का समयानुकूल संवितरण का प्रतिशत (7 दिनों के भीतर)	95%
				4) निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (डीएलआईएस) के तहत लाभार्थियों को कवरेज	4.1) योजना के कुल सदस्यों में से डीएलआईएस के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत*	96%

				5) असम चाय बागान कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रदायगी की क्षमता	5.1) चाय बागान कामगारों की कुल संख्या में से योजना के अंतर्गत शामिल चाय बागान कामगारों का प्रतिशत**	2.14%

*पारिवारिक पेंशन योजना (एफपीएस) और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (डीएलआईएस) के तहत लाभार्थियों को दिए गए फायदों का कवरेज प्रतिशत, FY 2026-27 में लाभार्थियों को भुगतान किए जाने वाले पारिवारिक पेंशन दावे और निक्षेप सहबद्ध बीमा दावे के आधार पर परिकलित किया जाएगा, जो कुल पारिवारिक पेंशन और डीएलआई लाभार्थियों में से हैं, जिन्होंने क्रमशः पारिवारिक पेंशन और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के लिए आवेदन किया है।

**वित्त वर्ष 2026-27 के लिए असम में चाय बागान कामगारों की कुल संख्या 13.10 लाख होने का अनुमान है। पारिवारिक पेंशन-सह-जीवन बीमा योजना और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के तहत कवर किए गए चाय बागान कामगारों (योग्य सदस्यों) की संख्या वित्त वर्ष 2026-27 के लिए क्रमशः 24,798 और 3,280 होने का अनुमान है (यानी कुल योग्य सदस्य = 28,078)। इसलिए, पारिवारिक पेंशन-सह-जीवन बीमा योजना और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के योग्य सदस्यों का कुल चाय बागान कामगारों की संख्या का प्रतिशत 2.14% (28078/1310000*100) लक्षित है। यह कुल चाय बागान कामगारों की संख्या की तुलना में एक कम लक्ष्य है, जिसके कारणों का श्रेय पारिवारिक पेंशन-सह-जीवन बीमा योजना और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के तहत पात्रता के मानदंडों को दिया जा सकता है, जो कि सेवा के दौरान मृत्यु है।

4. श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2026-27)	**निर्गम (2026-27)**			**परिणाम (2026-27)**		
रुपये करोड़ में	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य**
	1) शिक्षा के क्षेत्र में बीड़ी / सिने / लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खदानें (आईओएमसी) / चूना पत्थर खदानें और डोलोमाइट खदानें (एलएसडीएम) / अभ्रक कामगार और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना	1.1) वित्त वर्ष 2026-27 में मिले कुल आवेदनों में से सत्यापित / जांचे गए योग्य आवेदनों का प्रतिशत।	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा^	1) शिक्षा के क्षेत्र में बीड़ी / सिने / लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खदानें (आईओएमसी) / चूना पत्थर खदानें और डोलोमाइट खदानें (एलएसडीएम) / अभ्रक कामगार और उनके आश्रितों को लाभ प्रदान करना	1.1) वित्त वर्ष 2026-27 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	1,20,000

52.00	2) स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीड़ी / सिने / लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खदानें (आईओएमसी) / चूना पत्थर खदानें और डोलोमाइट खदानें (एलएसडीएम) / अभ्रक कामगार और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना	2.1) वित्त वर्ष 2026-27 में कुल कामगारों और उनके आश्रितों में से स्वास्थ्य योजना के तहत सम्मिलित किए गए कामगारों का प्रतिशत*	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@	2) बीड़ी / सिने / लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खदानें (आईओएमसी) / चूना पत्थर खदानें और डोलोमाइट खदानें (एलएसडीएम) / अभ्रक कामगार और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य लाभ हेतु कल्याणकारी गतिविधियों का प्रावधान	2.1) वित्त वर्ष 2026-27 में स्वास्थ्य योजना के तहत उपचारित मरीजों की संख्या*	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@

^लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं और केवल वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) चक्र हर साल जनवरी महीने में पूरा होता है, बशर्ते एनएसपी प्रशासक द्वारा कोई और विस्तार न दिया जाए। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की सत्यापन प्रक्रिया 15 जनवरी, 2026 तक जारी है और एनएसपी प्रशासक द्वारा अंतिम समापन के अधीन है। इसलिए, किसी भी तिमाही के लिए लक्ष्य तय नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, सत्यापित आवेदन की संख्या स्कॉलर्स द्वारा जमा किए गए दस्तावेज पर आधारित होती है। कुल आवेदन की संख्या भी हर साल अलग-अलग होती है, क्योंकि यह स्कॉलर की पसंद और अलग-अलग मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों और सरकारी संगठनों की दूसरी छात्रवृत्ति योजनाएं की उपलब्धता पर निर्भर करती है, जो आवेदन जमा करने के समय आवेदक के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। हालांकि, एनएसपी पोर्टल पर मिले कुल आवेदन की तुलना में सत्यापित आवेदन का प्रतिशत हर शैक्षणिक वर्ष के लिए सालाना रिपोर्ट किया जा सकता है।

*उपचारित मरीजों की संख्या में पंजीकृत कामगारों के आश्रित भी शामिल हैं। अस्पताल और डिस्पेंसरी में पंजीकृत कामगारों की कुल संख्या स्थिर बनी हुई है**,** क्योंकि योजना में कोई नया सदस्य नहीं जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत / ईएसआईसी के तहत स्वास्थ्य घटक को एकीकृत करने पर विचार-विमर्श चल रहा है।

@एलडब्ल्यूएस संबंधी "स्वास्थ्य" घटक एक मांग-संचालित योजना है, इसलिए लक्ष्य पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

5. श्रम पंजीकरण, निरीक्षण, समाधान और पारदर्शिता पहल (एसआरआईएसटीआई) [ई-श्रम पोर्टल - असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत पोर्टल्स का पुनर्गठन] [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2026-27)	**निर्गम (2026-27)**			**परिणाम (2026-27)**		
(रुपये करोड़ में)	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य**

28.00	1) असंगठित कामगारों को आधार के साथ जुड़ा यूनिक आईडी उपलब्ध कराना	1.1) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या (संचयी)	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@	1) असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बेहतर वितरण	1.1) साल-दर-साल कुल पंजीकरण में प्रतिशत वृद्धि	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@
		1.2) वित्त वर्ष 2026-27 में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@		1.2) ई-श्रम के माध्यम से एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने वाले श्रमिकों की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा*
				2) श्रम कल्याण योजनाओं का ई-श्रम के साथ एकीकरण	2.1) ई-श्रम के साथ एकीकृत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू की जा रही श्रम कल्याण योजनाओं की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा**
					2.2) ई-श्रम के साथ एकीकृत राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों की संख्या	
					2.3) ई-श्रम के साथ एकीकृत राज्य-विशिष्ट कल्याण योजनाओं की संख्या	

@31.12.2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर 31.45 करोड़ से ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। ई-श्रम पर असंगठित कामगारों का पंजीकरण स्वैच्छिक है और कुल पंजीकरण में लगातार बढ़ोतरी ई-श्रम के तहत असंगठित कामगारों की बढ़ती कवरेज को दिखाती है।।

*वर्तमान में, ई-श्रम: वन-स्टॉप-सॉल्यूशन को पीएमएसवाईएम, एनसीएस और 14 केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ एकीकृत / मैप किया गया है। ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं की संख्या प्रदान की जा सकती है। हालाँकि, चूँकि ये माँग आधारित योजनाएँ हैं, इसलिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया जा सकता है।

**ई-श्रम के साथ राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारी योजनाओं का एकीकरण सभी हितधारकों की सम्मति पर निर्भर करता है। जबकि केंद्रीय स्तर पर एकीकरण बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों से लगातार समर्थन की ज़रूरत है। इसलिए, कोई लक्ष्य तय नहीं किया जा सकता।

6. एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन [सीएस]

श्रम एवं रोजगार मंत्रालयनिर्गम-परिणाम निगरानी रुपरेखा (2026-27)

वित्तीय परिव्यय (2026-27)	निर्गम (2026-27)			परिणाम (2026-27)		
(रुपये करोड़ में)	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
25.00	1) अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) के नौकरी इच्छुकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श सेवाएँ प्रदान करना	1.1) व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए पंजीकृत और कैरियर परामर्श सेवाएँ प्रदान किए एससी / एसटी के नौकरी इच्छुकों की संख्या	2,00,000	1) अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) के नौकरी इच्छुकों की रोजगार क्षमता बढ़ाना	1.1) एससी / एसटी उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें एससी/एसटी के लिए नेशनल करियर सर्विस सेंटर (एनसीएससी) द्वारा प्रशिक्षित किया गया है*	5,000

*एससी / एसटी के नौकरी इच्छुकों को उनकी रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श सेवाएँ देने के अलावा, सेंटर एससी / एसटी उम्मीदवारों को छह अलग-अलग कोर्स में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, जिसमें ग्रुप "सी" पदों के लिए तैयार करने के लिए एक प्रशिक्षण / कोचिंग भी शामिल है। हर प्रशिक्षण में सीटों की संख्या तय है।